सं. प्रशि.(011)/प्रशि.कार्य./06/2018/रा.आ.रि.ब्यूरो/भाग-1
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

विषय : रा.अ.रि.ब्यूरो प्रशिक्षण योजना

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, जिसकी स्थापना 1986 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले अपराध और अपराधियों पर सूचना के एक क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी ताकि अपराध को अपराध कर्ताओं से जोड़कर जांचकर्ताओं और अन्य की सहायता की जा सके। इसकी अन्य भूमिकाओं में अपराध के आंकड़ों और फिंगर प्रिंट का संग्रह एवं प्रसंस्करण, समन्वय, मार्गदर्शन और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की सहायता करना तथा पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। एनसीआरबी भारतीय पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी और आपराधिक खुफिया के साथ सशक्त बनाने में प्रयासरत है ताकि वे कानून को प्रभावी ढंग और कुशलता से लागू कर सकें और जन-सेवाओं को बेहतर बना सकें। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस बलों के साथ समन्वय, अपराध विश्लेषण प्रौद्योगिकी के उन्नयन और आईटी क्षमता और आईटी सक्षम समाधान को डेवलप करके प्राप्त किया जाता है।

इस कार्यक्रम की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई थी कि इच्छुक और इसमें रुचि रखने वाले छात्रों के ज्ञान के आधार को, अपराध और अपराधियों के डेटा संकलन तथा उसी डेटा का भंडारण और पुनःप्राप्ति, अंगुलि-चिह्न, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी का पुलिस में कार्यान्वयन तथा जनता और पुलिस के उपयोग हेतु इन-हाउस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के तरीकों को एकीकृत किया जा सके।

i. एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और अन्य सॉफ्टवेयर के साथ एकीकरण में वेब सेवाओं का डेवलपमेंट
ii. बिग डेटा एनालिसिस डेवलपमेंट के माध्यम से अपराध विश्लेषण
iii. मोबाइल एप का डेवलपमेंट
iv. सीसीटीएनएस एवं एनसीआरबी नेटवर्क का प्रबंधन
v. डाटा गुणवत्ता प्रबंधन
vi. डाटा एनालिटिक्स
vii. स्वचालित उपकरणों के माध्यम से एप्लिकेशन परीक्षण
viii. सूचना सुरक्षा
ix. नेटवर्क सुरक्षा
x. वेबसाइट सुरक्षा

I. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता

यूजीसी या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों से नियमित आधार पर कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्नातक/स्नातकोत्तर /डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र।

II. **वांछनीय योग्यता**

"आर", पायथन और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोर्स पूरा करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त साइबर सुरक्षा/फोरेंसिक सामग्री निर्माण, मल्टीमीडिया एडिटिंग में एक्सपोजर रखने वाले छात्रों पर भी विचार किया जाएगा।

नेट और साइबर अपराध जांच, सामग्री निर्माण, मल्टीमीडिया आदि पर आधारित मॉड्यूल।

III. **इंटर्नशिप की योजना**

योजना का नाम : एनसीआरबी इंटर्नशिप स्कीम

iv. **नियम एवं शर्तें**

1. इंटर्नशिप केवल एनसीआरबी के सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन पर ही दी जाएगी।
2. इंटर्नशिप प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में मई से अगस्त के दौरान दी जाएगी।
3. इंटर्नशिप 15 कार्य दिवसों से शुरू होकर 2 महीने तक की अवधि के लिए है।
4. एक बार में अधिकतम 15 इंटर्न ही मान्य होंगे।
5. केवल विश्वविद्यालयों/कालेजों द्वारा अग्रेषित आवेदनों को ही इंटर्नशिप के लिए चुना जाएगा। इंटर्नशिप के लिए कोई व्यक्तिगत अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. प्रशिक्षण अवधि के दौरान इंटर्न को एनसीआरबी / या उनके कॉलेज / विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए विषय पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी और इंटर्नशिप के अंत में एक प्रस्तुति देनी होगी।
7. केवल भारतीय नागरिक ही एनसीआरबी में इंटर्नशिप ले सकते हैं।
8. एनसीआरबी की जानकारी का उपयोग करके इंटर्न द्वारा तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर एनसीआरबी का कॉपीराइट होगा। मूल्यांकन के लिए इंटर्न अपने विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं इस घोषणा के साथ कि रिपोर्ट एनसीआरबी का कॉपीराइट है और संस्थान के मानदंडों के अनुसार अंक प्राप्त कर सकते हैं, और एनसीआरबी की लिखित सहमति के बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के किसी भी भाग को बदला / कॉपी नहीं किया जा सकता है।
9. इंटर्नशिप एक पूर्णकालिक कार्यक्रम है और इसलिए इंटर्न को भारत सरकार के कार्य समय (सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे) का पालन करना आवश्यक है। काम के घंटों के दौरान बिना अनुमति की अनुपस्थिति होने पर इंटर्नशिप को रद्द किया जा सकता है या उसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है । यदि किसी इंटर्न का निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है या वह बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी इंटर्नशिप को बीच में रोका जा सकता है।
10. इंटर्न कार्यालय में गरिमा, शिष्टाचार और अनुशासन बनाए रखेगा, ऐसा नहीं करने पर इंटर्नशिप रद्द कर दी जाएगी।
11. इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने मात्र से, एनसीआरबी में इंटर्नशिप करने हेतु चयन नहीं होगा। इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए छात्रों के चयन हेतु, ब्यूरो का निर्णय अंतिम होगा।
12. इंटर्नशिप के दौरान, छात्रों को इस ब्यूरो के विभिन्न प्रभागों के कामकाज से अवगत कराया जाएगा।

13. इस दौरान छात्रों को कोई आवास प्रदान नहीं किया जाएगा।

V. प्रमाण-पत्र

इंटर्नशिप के सफल समापन पर इंटर्न को एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद इस ब्यूरो के सभी इंटर्नशिप कार्यक्रमों के बारे में नोडल अधिकारियों डीडी (सीसीटीएनएस-2) और डीडी (आईटीएस) के समक्ष इंटर्नशिप से टेक अवे इंटेर्न्स द्वारा एक प्रस्तुति दी जाएगी।

VI. आवेदकों के लिए प्रक्रिया

कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय कैलेंडर वर्ष के दौरान केवल एक बार ऑनलाइन/ऑफलाइन इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटर्न के सीधे आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

VII. स्टाइपेंड

इंटर्नशिप अवधि के दौरान छात्रों को कोई वजीफा और टीए / डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

VIII. लॉजिस्टिक्स & सपोर्ट:

इंटर्न के पास अपना लैपटॉप होना आवश्यक है। इनटर्नशिप करने वालों को ,ब्यूरो के डिविजन्स की ओर से काम करने की जगह, इंटरनेट सुविधा दी जाएगी और अन्य आवश्यकताएं पूरी की जायेंगी।

निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा इंटर्नशिप के लिए उपरनिर्दिष्ट अनुदेशों में किसी भी समय छूट/संशोधन किया जा सकता है।